न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर– तृतीय, जयपुर

1. पीठासीन अधिकारी : श्री राजकुमार कस्वा
2. प्रकरण संख्या : 12/2022
3. उनवान : जगदीश नारायण पुत्र मूंगाराम, जाति बलाई, निवासी ग्राम इटावा, गोरावाली, तहसील किशनगढ़ रेनवाल, जिला जयपुर।

–अपीलांट

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार फुलेरा, मुख्यालय सांभरलेक जिला जयपुर।
2. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, किशनगढ़ रेनवाल, जि. जयपुर।
3. नन्दालाल पुत्र मूंगाराम
4. मोहनलाल पुत्र मूंगाराम

समस्त जाति बलाई निवासी ग्राम इटावा, ढाणी गोरावाली तहसील किशनगढ रेनवाल जिला जयपुर।

–रेस्पोडेन्ट्स

4. निर्णय दिनांक : 27/05/2024
5. अधिवक्तागणों का नाम : अ) अधिवक्ता श्री बी.एल. वर्मा अपीलांट्स की ओर से।
   ब) अधिवक्ता श्री मुकेश चन्द माथुर रेस्पोडेन्ट्स की ओर से।

निर्णय

अपील अन्तर्गत धारा 75 लैण्ड रेवेन्यू एक्ट 1956

अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अपील में अंकित किया गया है कि अपीलान्ट एवं रेस्पोंडेन्ट संख्या 3 व 4 खाता संख्या 43, पुराना खाता संख्या 41 आराजी खसरा नम्बर 15 रकबा 25 बीघा 14 बिस्वा बारानी भूमि के सहखातेदार काश्तकार वाके ग्राम इटावा, भू.अ. क्षेत्र रेनवाल, तत्कालीन तहसील फुलेरा, जिला जयपुर में जमाबंदी संवत 2046 से 2049 में सहखातेदार काश्तकार अंकित थे, जिन्होंने आपसी सहमति से भूमि जोत का बंटवारा कराने हेतु प्रार्थना पत्र दिनांक 13/02/1992 को प्रस्तुत किया, जिस पर 24/02/1992 को आदेश होकर नामान्तरकरण दिनांक 17/05/1992 को तकासमा का भरा गया एवं नक्शे में बटा नम्बर 15/1, 15/2, 15/3, 15/4 अंकित कर बंटवारा कर दिया। उपरोक्त आराजी खसरा नम्बर 15/4 में खसरा नम्बर 755/13 एवं 687/14 रास्ता जाता है एवं आराजी खसरा नम्बर 15/4 व 15/3 में डोटेड लाईन का रास्ता आराजी खसरा नम्बर 15/1 व 15/2 में जाने के लिए उपलब्ध है एवं उसका उपयोग व उपभोग अपीलान्ट व रेस्पोंडेन्ट संख्या 3 व 4 कर रहे है। 1 जुलाई 2022 को रेस्पोंडेन्ट संख्या 3 ने खसरा नम्बर 15/4 में जो रास्ता डोटेड लाईन का प्रवेश करता है उस पर 13 फुट X 4 फुट का गेट लगा दिया है एवं वो कभी भी उक्त गेट के ताला लगाकर आने व जाने के रास्ते को अवरुद्ध कर रोक सकता है। राज्य सरकार ने एक परिपत्र दिनांक 06/11/2004 को जारी कर यह निर्देश जारी किये गये थे कि यदि किसी सह काश्तकार को अपनी भूमि में आने जाने के लिए कोई रास्ता उपलब्ध नहीं होगा तो भूमि विभाजन की डिक्री अव्यवहारिक होगी एवं रास्ते के लिए पक्षकारान को अलग से चाराजोही करनी पड़ेगी एवं प्रस्तुत प्रकरण में भी अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार ने डोटेड लाईन का जो रास्ता बनाया है, उसमें पृथक से नम्बर अंकित नहीं किये एवं ऐसी सूरत में राजस्व रिकॉर्ड में कटानी रास्ता अंकित नहीं करने पर झगड़ा होता रहेगा एवं सरकार द्वारा ढाणियों में राजस्व रिकॉर्ड में रास्ता अंकित नहीं होने के कारण ग्रेवल रोड़ भी नहीं

अतिरिक्त कलक्टर
(तृतीय) जयपुर

बना पायेगी। तत्पश्चात् अपीलान्ट ने दिनांक 03/08/2022 को तहसील कार्यालय से रिकॉर्ड निकलवाया एवं जानकारी एवं राज्य सरकार के परिपत्र दिनांक 06/11/2004 के विपरीत अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित किये गये आदेश को चुनौती दिये जाने के लिए अपील राजस्व रिकॉर्ड आदेश तहसीलदार एवं नामान्तरकरण संख्या 419 दिनांक 17/05/1992 की नकलें जानकारी दिनांक 03/08/2022 को प्राप्त करने पर हुई। अपील अन्दर मियाद प्रस्तुत की जा रही है। अधीनस्थ न्यायालय ने जो आदेश दिया है वो 06/11/2004 के परिपत्र जो पश्चातवर्ती है एवं उसमें विभाजन कर देने मात्र से विभाजन का उद्देश्य पूरा नहीं होता है। अपील में हुए विलम्ब को न्यायहित में माफ किया जावे क्योंकि अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय गुणावगुण पर न होकर केवल सरसरी आदेश है एवं कटानी रास्ते का प्रावधान करते हुए उक्त भूमि को सिवाय चक अंकित नहीं किया गया तो तकासमा का आदेश केवल औपचारिक रह जायेगा एवं तकासमा के मूल आदेश की पूर्ति नहीं हो सकेगी।

अन्त में निवेदन किया गया है कि अपीलाधीन आदेश तहसीलदार फुलेरा, मुख्यालय सांभरलेक के आदेश दिनांक 24/02/1992 एवं नामान्तरकरण संख्या 419 दिनांक 17/05/1992 में जो भूमि में आने जाने के लिए जो डोटेड लाईन अंकित की है, उसमें पृथक से बटा नम्बर डाला जावे एवं उक्त भूमि राज्य सरकार में निहित की जावे जिससे उपरोक्त रास्ते का काश्तकारों के हित में विकास हो सके एवं उपरोक्त आदेश जो अव्यवहारिक है उसको व्यवहारिक करने हेतु अधीनस्थ न्यायालय को निर्देश जारी करते हुए यह अपील स्वीकार की जावे जिससे तकासमे के वास्तविक उद्देश्य की प्राप्ति हो सके।

अपीलार्थी ने अपील के संलग्न प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 41(3) तथा प्रा. पत्र अन्तर्गत धारा 5 अवधि अधिनियम, नामान्तरकरण सं 419 एवं 1202 की प्रमाणित प्रति एवं अन्य संबंधित दस्तावेजात पेश किये है।

अपील प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर की गई। नोटिस तलबी जारी किये गये एवं मूल रिकॉर्ड मंगवाया गया। तहसीलदार द्वारा मूल रिकॉर्ड की प्रमाणित प्रति प्रेषित की गई। रेस्पोडेन्ट संख्या 1 व 2 की ओर से सरकार पैरोकार पेश हुए। रेस्पोडेन्ट संख्या 3 व 4 की ओर से अधिवक्ता श्री मुकेश चन्द माथुर उपस्थित हुए।

रेस्पोडेन्ट संख्या 3 व 4 की ओर से अपील जवाब प्रस्तुत किया गया, जिसमें अंकित किया गया कि आराजी खसरा नंबर 15/4 में खसरा नंबर 755/13 एवं 687/14 में स्थित रास्ता होना सही होने से स्वीकार है। खसरा नंबर 15/4 व 15/3 में डोटेड लाईन से दर्शाया गया रास्ता होना व कदीमी से अपीलान्ट व रेस्पोन्डेन्टस् संख्या 3 व 4 द्वारा उपयोग उपभोग में लिया जाना भी सही होने से स्वीकार्य है। खसरा नंबर 15/4 में डोटेड लाईन से दर्शाये गये रास्ते में 13 X 4 फुट के गेट को मिन रेस्पोन्डेन्टस् व स्वयं अपीलान्ट द्वारा लगाई गई फलदार वृक्षों की खेती व अन्य उपजों को आवारा पशुओं से सुरक्षित किये जाने के उद्देश्य मात्र से अरसा पूर्व लगाया गया था जिस उपरान्त से वर्तमान तक अपीलान्ट अथवा अन्य किसी पक्षकार को आवागमन सम्बन्धि किसी प्रकार की कोई असुविधा पेश नहीं आयी है। अपीलान्ट व मिन रेस्पोन्डेटस् द्वारा लगभग 40/45 वर्ष पूर्व आपसी सहमति से किए गये बंटवारे अनुसार काबिज काश्त चले आते रहने व तत्समय से ही कायम आमद रफत के रास्ते का उपयोग उपभोग किया जाना इस तथ्य की पुष्टि करता है कि किसी सह–खातेदार/काश्तकार को उक्त अवधि के दौरान आवागमन सम्बन्धि कोई असुविधा अब तक पेश नहीं आई है ना ही भविष्य में कोई असुविधा होना सम्भावित है जबकि मिन रेस्पोन्डेन्टस् सहित अपीलान्ट की फसलों की सुरक्षा ही निश्चित रहेगी। अपीलान्ट के सुझाव पर पूर्व से कायम रास्ते की चौडाई को 6 फीट से बढ़ाकर 14 फीट कर दी गई है जो वर्तमान में भी बाकायदा कायम है व अपीलान्ट सहित मिन रेस्पोन्डेन्टस् द्वारा बिना किसी बाधा के रास्ते की सुविधा का लाभ उठाया जाता रहा है व किसी को आमद रफत सम्बन्धि कोई परेशानी नहीं हुई है।

अतिरिक्त कथन में अंकित किया गया है कि अपीलान्ट द्वारा बेबुनियाद आधार पर विवाद उत्पन्न कर अपील पेश की गई है जबकि पूर्व में स्थापित 6 फीट चौडे रास्ते की चौडाई 14 फीट केवल मात्र अपीलान्ट की सुविधा को ध्यान में रखकर बढ़ाया गया और उससे पूर्व भी अपीलान्ट को आवागमन में न तो कोई असुविधा रही व ना ही वर्तमान में है तथापि अरसापूर्व से लगाये गये गेट का लाभ केवल मिन रेस्पोन्डेन्ट्स की फसलों को ही नहीं अपितु अपीलान्ट की फसल भी सुरक्षित है, जिन तथ्यों की अपीलान्ट को भी पूर्ण जानकारी है। चूंकि तकासमा के समय अपीलान्ट से मिन रेस्पोन्डेन्टस् की आपसी सहमति के बाद ही प्रस्तुत नक्शे के आधार पर अस्थाई रास्ता अंकित किया गया था। भू–धारक/काश्तकार की सहमति के बिना भूमि का सिवाय–चक में अंकित किया जाना भू–राजस्व अधिनियम 1956 व काश्तकारी अधिनियम 1955 के विहित उपबन्धों के विरूद्ध है एवं रेस्पोन्डेन्टस् नंबर

उप कलक्टर

3 व 4 अपने हिस्से में आई भूमि को सिवाय चक में अंकित एवं शामिल करने के लिए पूर्णतया असहमत हैं। अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार, सांभर द्वारा पारित निर्णय दिनांक 17.05.1992 नामान्तरण संख्या 419 से अपीलान्ट एवं मिन रेस्पोडेन्ट्स पूर्णतया पाबन्द है। अन्त में निवेदन किया गया है अपील अपीलान्ट खारिज फरमाई जावे।

रेस्पोडेन्ट संख्या 3 व 4 की ओर से प्रस्तुत जवाब प्रा. पत्र में अंकित किया है कि अपीलान्ट द्वारा बेबुनियाद आधार पर विवाद उत्पन्न कर अपील पेश की गई है जबकि पूर्व में स्थापित 6 फीट चौडे रास्ते की चौडाई 14 फीट केवल मात्र अपीलान्ट की सुविधा को ध्यान में रखकर बढ़ाया गया और उससे पूर्व भी अपीलान्ट को आवागमन में न तो कोई असुविधा रही व ना ही वर्तमान में है तथापि अरसापूर्व से लगाये गये गेट का लाभ केवल मिन रेस्पोन्डेन्ट्स की फसलों को ही नहीं अपितु अपीलान्ट की फसल भी सुरक्षित है जिन तथ्यों की अपीलान्ट को भी पूर्ण जानकारी है चूंकि तकासमा के समय अपीलान्ट से मिन रेस्पोन्डेन्टस् की आपसी सहमति के बाद ही प्रस्तुत नक्शे के आधार पर अस्थाई रास्ता अंकित किया गया था। भू-धारक/काश्तकार की सहमति के बिना भूमि का फीट केवल मात्र अपीलान्ट की सुविधा को ध्यान में रखकर बढ़ाया गया और उससे पूर्व भी अपीलान्ट को आवागमन में न तो कोई असुविधा रही व ना ही वर्तमान में है तथापि अरसापूर्व से लगाये गये गेट का लाभ केवल मिन रेस्पोन्डेन्ट्स की फसलों को ही नहीं अपितु अपीलान्ट की फसल भी सुरक्षित है। जिन तथ्यों की अपीलान्ट को भी पूर्ण जानकारी है चूंकि तकासमा के समय अपीलान्ट से मिन रेस्पोन्डेन्टस् की आपसी सहमति के बाद ही प्रस्तुत नक्शे के आधार पर अस्थाई रास्ता अंकित किया गया था। भू-धारक/काश्तकार की सहमति के बिना भूमि का सिवाय-चक में अंकित किया जाना भू-राजस्व अधिनियम 1956 व काश्तकारी अधिनियम 1955 के विहित उपबन्धों के विरूद्ध है एवं रेस्पोन्डेन्टस् नंबर 3 व 4 अपने हिस्से में आई भूमि को सिवाय चक में अंकित एवं शामिल करने के लिए पूर्णया असहमत है। अधिनस्थ न्यायालय तहसीलदार, सांभर द्वारा पारित निर्णय दिनांक 17/05/1992 नामान्तरण संख्या 419 से अपीलान्ट एवं मिन रेस्पोन्डेन्टस् पूर्णतयाः पावन्द हैं।

अन्त में निवेदन किया गया है कि जवाब प्रार्थना पत्र के परिप्रेक्ष्य में प्रार्थना पत्र प्रार्थी मय हर्जे खर्चे के खारिज फरमाया जावे।

तत्पश्चात पत्रावली वास्ते बहस नियत की गई। विद्वान अधिवक्ता अपीलान्ट ने लिखित बहस पेश की जिसमें अंकित किया है कि अपीलांट एवं रेस्पोडेन्ट संख्या 3 व 4 खाता संख्या 43, पुराना खाता संख्या 41 आराजी खसरा नम्बर 15 रकबा 25 बीघा 14 बिस्वा बारानी भूमि के सह खातेदार काश्तकार वाके ग्राम इटावा भू.अ. क्षेत्र रेनवाल, तत्कालीन तहसील फुलेरा, जिला जयपुर में जमाबंदी संवत 2046 से 2049 में सह खातेदार काश्तकार अंकित थे, जिन्होंने आपसी सहमति से भूमि जोत का बटवारा करने हेतु प्रार्थना पत्र दिनांक 13.02.1992 को प्रस्तुत किया, जिस पर 24.03.1992 को आदेश होकर नामांतरकरण दिनांक 17.05.1992 को तकासमा भरा गया एवं नक्शे में बटा नम्बर 15/1, 15/2, 15/3, 15/4 अंकित कर बंटवारा कर दिया। उपरोक्त आराजी खसरा नम्बर 15/4 में खसरा नम्बर 755/13 एवं 687/14 रास्ता जाता है एवं आराजी खसरा नम्बर 15/4 व 15/3 में डोटेड लाईन का रास्ता आराजी खसरा नम्बर 15/1 व 15/2 में जाने के लिए उपलब्ध है एवं उसका उपयोग व उपभोग अपीलांट व रेस्पोडेन्ट संख्या 3 व 4 कर रहे हैं। अपीलाधीन आदेश तहसीलदार फुलेरा मुख्यालय सांभर लेक दिनांक 24.02.1992 एवं नामांतकरण संख्या 419 दिनांक 17.05.1992 में जो भूमि आने-जाने के लिए राजस्व नक्शे में लाईन अंकित की गयी है उसमें आराजी खसरा 15/2 रकबा 0.0126 नवीन चाह बारानी 1 भूमि एक बिस्वा अंकित है एवं वो शामलाती जगदीश नारायण एवं नन्द लाल दोनों के नाम मुताबिक जमाबंदी अंकित है। तत्कालीन तहसीलदार ने जो आपसी सहमति से बटवारा किया उसमें शामलाती कूप खसरा नम्बर 15/2 में जाने तक रास्ता पृथक से बटा नम्बर अंकित करके नवीन रास्ता नहीं दिखाया है जबकि रास्ते का काश्तकारों के हित में हो सकें एवं काश्तकार की अपनी उपज को मार्केट में ले जाने व लाने की सुविधा मिल सके इसलिये व्यवहारिक दृष्टिकोण अपनाते हुए तत्कालीन तहसीलदार को अपने निर्णय दिनांक 24.02.1992 में पृथक ही रास्ता कायम करके बटा नम्बर अंकित करने चाहिए थे। राज्य सरकार ने राजस्व (ग्रुप-6) विभाग के परिपत्र क्रमांक प-3 (2) राजस्थान -6/2023/ पार्ट दिनांक 10.08.2016 में निर्देश दिये गये है "राजकीय भूमि पर चालू स्थायी रास्ता राजकीय खातेदारी में गैर मुमकिन रास्ता के रूप में खसरा नम्बर सहित दर्ज किया जायेगा। निजी खातेदारी की भूमि में से चालू स्थायी सार्वजनिक रास्ता सम्बन्धित खातेदार की खातेदारी में ही रहेगा परन्तु नक्शे में व जमाबंदी में पृथक से खसरा नम्बर दिया जाएगा व रास्ते के रकबे सहित किस्म गैर मुमकिन रास्ता दर्ज की जायेगी।" इसी तरह राज्य सरकार के परिपत्र

...लिपिक कलक्टर
(तृतीय) जयपुर

राजस्व (ग्रुप-6) विभाग के परिपत्र क्रमांक प.3 (17) राज/6/2021 पार्ट/91 दिनांक 30.09.2022 में व्यवस्था दी गई है- "जहां खातेदार द्वारा रास्ते के उपयोग में आ रही भूमि को राजहित में समर्पण करने से मना कर दिया जावे उस प्रकरण में रास्ते में काम आ रही भूमि को गैर मुमकिन रास्ता दर्ज किया जावे परन्तु उस काश्तकार की खातेदारी में ही रहने दिया जावे।" राजस्व मण्डल अजमेर के निर्णय दिनांक 18 जून 2013 में निर्देश दिये है कि- "A new way can be created only when no alternative way is available.

अतः उपरोक्त परिपत्रों के आधार पर नवीन रास्ता दर्शाते हुए बटा नम्बर अंकित करते हुए 14 फीट का रास्ता कायम करने हेतु निर्देश जारी करावें जिससे तहसीलदार द्वारा पारित आदेश दिनांक 17.05.1992 व्यावहारिक हो सके एवं रास्ते का विवाद से निजात मिल सके।

रेस्पोंडेन्ट संख्या 1 व 2 की ओर से पैरोकार सरकार ने दौराने बहस कथन किया कि उभयपक्ष की आपसी सहमति के आधार पर तत्कालीन तहसीलदार द्वारा दिनांक 17.05.1992 को तकासमा भरा गया एवं आपसी सहमति के आधार पर भूमि जोत का बंटवारा किया गया। आराजी खसरा नम्बर 15/4 व 15/3 के डोटेड लाईन का रास्ता आराजी खसरा नम्बर 15/1 व 15/2 में जाने के लिए [illegible] है एवं उसका उपयोग व उपभोग अपीलान्ट व रेस्पोंडेन्ट संख्या 3 व 4 कर रहे है, जो कि मौके पर चालू है लेकिन राजस्व रिकार्ड में दर्ज नही है। ख.नं. 15/4 खातेदार नन्दलाल पुत्र मूंगाराम के नाम है। उक्त द्वारा चालू रास्ता एवं ख.नं. 687/14 की सीमा पर लोहे का गेट लगा रखा है।

[illegible] अधिवक्ता रेस्पोंडेन्ट संख्या 3 व 4 ने दौराने बहस कथन किया कि आराजी खसरा नम्बर 15/4 के खसरा नम्बर 755/13 एवं 687/14 में तथा खसरा नंबर 15/4 व 15/3 में डोटेड लाईन के [illegible] रास्ते का उपयोग उभयपक्ष द्वारा किया जाता है जिस पर 01.07.2022 को गेट [illegible] की खेती व अन्य उपजो को आवारा पशुओं से सुरक्षित किये जाने के उद्देश्य हेतु लगाया गया है। जिस पर आज दिनांक तक किसी पक्षकार को आवागमन संबंधी असुविधा नहीं हुई है। अपीलान्ट व रेस्पोन्डेन्टस् द्वारा लगभग 40-45 वर्ष पूर्व आपसी सहमति से बंटवारे अनुसार काबिज काश्त चले आ रहे है एवं कायम आमद-रफ्त के रास्ते का उपयोग उपभोग करते आ रहे हैं। उक्त अवधि के दौरान आवागमन संबंधी कोई विवाद उत्पन्न नहीं हुआ। अपीलान्ट के सुझाव पर पूर्व से कायम रास्ते की चौड़ाई को 6 फीट से बढ़ाकर 14 फीट कर दिया है, जो वर्तमान में भी बाकायदा कायम है व अपीलान्ट सहित रेस्पोन्डेन्टस् द्वारा बिना किसी बाधा के रास्ते की सुविधा का लाभ उठाया जाता रहा है व किसी को आमद रफ्त सम्बन्धि कोई परेशानी नहीं हुई है। अरसापूर्व से लगाये गये गेट का लाभ केवल रेस्पोन्डेन्टस की फसलों को ही नहीं अपितु अपीलान्ट की फसल भी सुरक्षित है। आपसी सहमति के बाद ही प्रस्तुत नक्शे के आधार पर अस्थाई रास्ता अंकित किया गया था। काश्तकार की सहमति के बिना भूमि का सिवाय-चक में अंकित किया जाना भू-राजस्व अधिनियम 1956 व काश्तकारी अधिनियम 1955 के विरुद्ध है। तहसीलदार, सांभर द्वारा पारित निर्णय दिनांक 17.05.1992 नामान्तरण संख्या 619 से अपीलान्ट एवं रेस्पोंडेन्टस पूर्णतया पाबन्द है। अतः अपील अपीलान्ट खारिज फरमायी जावे।

हम अपीलान्ट की अपील [illegible] तथा विद्वान अधिवक्तागण उभयपक्ष की बहस पर मनन किया। हस्तगत प्रकरण में अपीलान्ट ने आपसी सहमति से तकासमा करवाया, जिसके आदेश दिनांक [illegible] की पालना में नामान्तरकरण संख्या 619 दिनांक 17.05.1992 स्वीकार हुआ।

[illegible] विवाद के बिन्दु पर [illegible] 5 के प्रार्थना पत्र के लिए न्यायालय का मत है "अपील [illegible] के पेश करने के संबंध में [illegible] द्वारा प्रस्तुत धारा 5 परिसीमा अधिनियम का प्रार्थना पत्र का निर्णय करते समय न्यायालय को विलम्ब के कारणों पर निर्णय करने के साथ उदार दृष्टिकोण अपनाना चाहिए, जहाँ [illegible] किसी पक्षकार के हितों के लिए उसे अवसर दिया जाना न्यायोचित हो, वहीं विलम्ब के कारणों पर उदार दृष्टिकोण अपनाते हुए पक्षकार को अपना पक्ष साबित करने हेतु पर्याप्त अवसर देना न्यायसंगत है।" हस्तगत प्रकरण में आपसी सहमति से तकासमा व नामान्तरकरण 1992 में हुआ है परन्तु तकासमा में सहमति के [illegible] किए गए चालू रास्ते के विवाद होने पर अपीलान्ट उक्त विवादग्रस्त बिन्दु पर न्यायालय के समक्ष उपस्थित आया है। ग्रामीण पृष्ठभूमि के काश्तकारों को कानूनी [illegible] की व कानूनी नियमों की जानकारी नहीं होती है, इसलिए न्यायालय को उनको पक्ष रखने का अवसर दिया जाना न्यायोचित होगा।

अतिरिक्त कलक्टर
(तृतीय) जयपुर

इसलिए विलम्ब के बिन्दु पर अपीलार्थी को अपील प्रस्तुत करने में हुई देरी को कण्डोन किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है। अतः उपर्युक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधिनियम स्वीकार किया जाता है।

अपीलान्ट व रेस्पोडेण्ट के मध्य सहमति से विभाजन हुआ व पक्षकारों ने आपसी सहमती से खेतो मे आने–जाने हेतु रास्ता कायम किया। उक्त रास्ता गत 30 वर्षों से आवागमन हेतु उपयोग–उपभोग किया जाता रहा है। काश्तकारी हेतु रास्ता महत्त्वपूर्ण है, इसलिए राज्य सरकार द्वारा राजस्व (ग्रुप–6) विभाग के परिपत्र क्रमांक प3(2)राज.–6/2003/पार्ट दिनांक 10/8/2016 तथा परिपत्र क्रमांक प.3(17)राज–6/2021पार्ट/91 दिनांक 30/9/21 द्वारा रास्ता दर्ज करने सम्बंधी प्रावधान किए हैं। परिपत्र क्रमांक प3(2)राज.–6/2003/पार्ट दिनांक 10/8/2016 के पृष्ठ संख्या 2 पर राजकीय और निजी भूमियों में चालू स्थायी रास्तों के राजस्व अभिलेख में अंकन बाबत समाधान किया गया है। परिपत्र क्रमांक प.3(17)राज–6/2021पार्ट/91 दिनांक 30/9/21 में भी सह खातेदारों द्वारा जोतों के विभाजन के समय अपनी जोतों तक पहुंचने के लिए कुछ भूमि रास्ते के रूप में छोड़ी जाती है, ऐसी भूमि के राजस्व रिकॉर्ड व नक्शा में दर्शित करने में बाबत प्रावधान किए गए हैं।

इस प्रकार राज्य सरकार द्वारा काश्तकारों के काश्तकारी हेतु रास्ता बाबत उक्त प्रावधान के अन्तर्गत चालू रास्ता का राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज किए जाने का प्रावधान है। पत्रावली में जवाब तहसीलदार के संलग्न रिपोर्ट में भी खसरा नंबर 15/1, 15/3 व 15/4 के मध्य मौके पर चालु रास्ता, जो नजरी डोटेड दिखाया गया, रिकार्ड में दर्ज नहीं है। विभाजन प्रस्ताव के संलग्न नजरी नक्शा मे भी खसरा नम्बर 15/1, 15/3 व 15/4 के मध्य डोटेड लाइन दर्शायी गयी है।

इसी प्रकार दिनांक 15.02.2010 की फर्द मौका व नजरी नक्शा में भी खसरा नंबर 13 व खसरा नंबर 14 मे चालू रास्ता होने की रिपोर्ट की गई है। खसरा नंबर 13 व 14 में चालू रास्ता खसरा नंबर 15/1, 15/3, 15/4 के मध्य चालू रास्ता से जुड जाता है। अपीलांट संख्या 3 व 4 ने भी जवाब अपील में खसरा नंबर 15/4 व 15/3 में डोटेड लाइन से दर्शाया गया रास्ता होना व कदीमी से अपीलांट व रेस्पोडेन्ट्स संख्या 3 व 4 द्वारा उपयोग–उपभोग में लिया जाना भी सही होने से स्वीकार्य है। उपर्युक्त दोनों रिपोर्ट, जवाब अपील व विभाजन प्रस्ताव से स्पष्ट है कि खसरा नंबर 15/1, 15/3, 15/4 के मध्य डोटेड लाइन दर्शित रास्ता मौके पर चालू है व लम्बे समय से कदीमी रास्ता के रूप मे काश्तकारों के सार्वजनिक उपयोग में आ रहा है।

उपर्युक्त विवेचन के आधार पर आदेश दिया जाता है कि तहसीलदार फुलेरा खसरा नंबर 15/1, 15/3, 15/4 में चालू रास्ता को परिपत्र क्रमांक प3(2)राज.–6/2003/पार्ट दिनांक 10/8/2016 व परिपत्र क्रमांक प.3(17)राज–6/2021पार्ट/91 दिनांक 30/9/21 के अनुसार राजस्व रिकॉर्ड में अंकन करें। उभयपक्षकारान् को पाबंद किया जाता है कि खसरा नंबर 15/1, 15/3, 15/4 में चालू रास्ता में आवागमन व उपयोग–उपभोग में कोई बाधा उत्पन्न नहीं करें।

निर्णय आज दिनांक 27/05/2024 को खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली बाद फैसल दर्ज नम्बर से कम हो। पत्रावली बाद तकमील तरतीब दाखिल दफ्तर हो।

किशनगढ़ रेनवाल

(राजकुमार कस्वा)
अति. जिला कलक्टर एवं
जिला मजिस्ट्रेट (द्वितीय)
जयपुर